

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी-हरिद्वार

पत्रांक मान्यता(प्रा0) 2846 /2015-16/
सेवा में,

दिनांक 22/7/15

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक
शैम फोर्ड स्कूल(1 से 5)
रूडकी विकास खण्ड रूडकी
जिला हरिद्वार

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2)के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली 2013 के नियम 17(क)के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा-पत्र के कम में आपके विद्यालय शैम फोर्ड स्कूल(1 से 5) रूडकी विकास खण्ड रूडकी जिला हरिद्वार अधिनियम की धारा-19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद हरिद्वार में आपके विद्यालय के मान्यता कोड/पंजीकरण संख्या 363/PS है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम-18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

मुख्य शिक्षा अधिकारी

हरिद्वार उत्तराखण्ड